नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.25	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका हैं, जिस पर दोनो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं प्रतिवादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी को विवादित भूमि में से दो स्थान पर भूमि दी गई है तथा उपजाऊ भूमि भी वादी को दे दी गई है लिहाजा विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया जावे। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बांई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव चाहा गया है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ही विभाजन प्रस्ताव अज अदालत को प्रेषित किया गया है विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया गया है लिहाजा प्रतिवादी की मौखिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के नया खसरा संख्या 2095 रकबा 3.0424 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–	

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	बाबुलाल पुत्र वागाजी जाति माली सा. मायलावास खातेदार	2095 2095	0.5678 0.9174	हरा
	योग	2	1.4852	हरा
2	सांकलराम पुत्र नवाराम जाति माली सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. कृषि विकास शाखा सिवाना	2095 [illegible]	[illegible] [illegible]	केसरिया
	योग	2	[illegible]	केसरिया
3	बाबुलाल पुत्र वागाजी हिस्सा 1/2 जाति माली सा. मायलावास खातेदार, सांकलराम पुत्र नवाराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई.कृषि विकास शाखा सिवाना	2095	0.0720	लाल
	योग	1	0.0720	लाल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 10:55:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस आदेश से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:55:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :–

सांकलराम पुत्र स्व.नवाराम जाति माली निवासी पादरू रोड सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. बाबुलाल पुत्र वागाजी जाति माली निवासी बेरा वेरी ग्राम महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ए.डी.बी. सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 31.10.25

मुकदमा नंबर :–74 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री भरत गहलोत व श्री खुशवंतसिंह अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुंरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के नया खसरा संख्या 2095 कुल रकबा 3.0424 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	बाबुलाल पुत्र वागाजी जाति माली सा. मायलावास खातेदार	2095 2095	0.5678 0.9174	हरा
	योग	2	1.4852	हरा
2	सांकलराम पुत्र नवाराम जाति माली सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना	2095 2095	0.5678 0.9174	केसरिया
	योग	2	1.4852	आसमानी
3	बाबुलाल पुत्र वागाजी हिस्सा 1/2 जाति माली सा. मायलावास खातेदार, सांकलराम पुत्र नवाराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना	2095	0.0720	लाल
	योग	1	0.0720	लाल

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी नामांतरण एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। स्टेट बैंक का रहन इस आदेश से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:55:31 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

आंशिक भू-नक्शा फोटो कॉपी
ग्राम - सिवाना , पटवार मण्डल - सिवाना
तह० सिवाना , जिला बालोतरा
बिना पैमाना

N

संकेत
= बाबुलाल

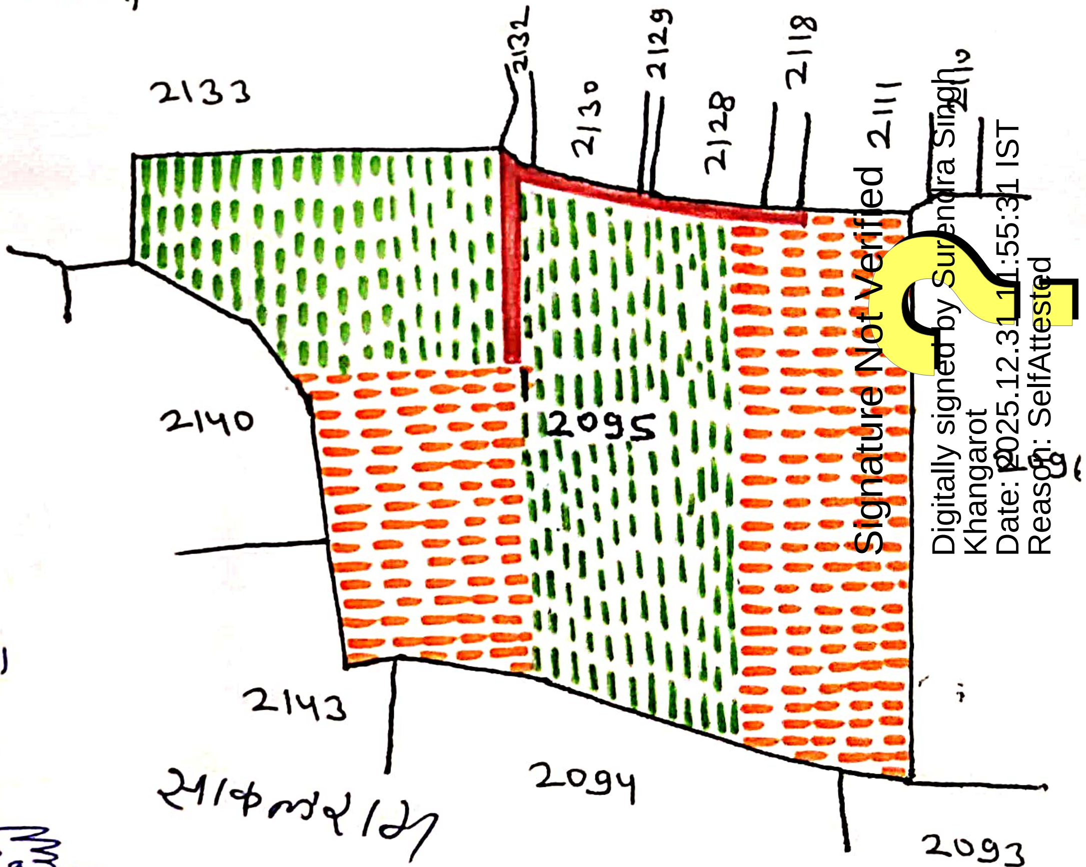

Ex-Court

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

सत्य प्रतिलिपि
P-35 B, 13/10/25
Pawan Singh
पटवारी सिवाना

Pawan Singh
पटवारी सिवाना

13-10-25
ILR सिवाना

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:55:31 IST
Reason: SelfAttested